न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर सरिया, गिरिडीह

छत्रधारी यादव वगै0 बनाम् नारायण यादव वगै0
विविध वाद संख्या– 105/2024
U/S- 163 B.N.S.S.

आदेश की क्रम संख्या और तिथि।	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पनी तारीख सहित।
10.09.2024		

प्रथम पक्ष :–

1. छत्रधारी यादव, पिता– किशुन यादव।
2. सरला देवी, पति– स्व0 बासुदेव यादव।

दोनों साकिन– सरण्डा, थाना– बिरनी, ओ0 पी0 भरकट्टा

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. नारायण यादव, पिता– रामेश्वर यादव।
2. जयंती देवी, उर्फ ललीता देवी, पति– नारायण यादव।
3. मंजु देवी, पति– लक्ष्मण यादव।
4. अर्जुन यादव, पिता– रामेश्वर यादव।
5. गीता देवी, पति– अर्जुन यादव।
6. भागीरथ यादव, पिता– रामेश्वर यादव।
7. मुनिया देवी, पति– भागीरथ यादव।
8. रोहित यादव, पिता– नारायण यादव।
9. सुधीर यादव, पिता– लक्ष्मण यादव।

सभी साकिन– सरण्डा, थाना– बिरनी, ओ0 पी0 भरकट्टा

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं अंचल अधिकारी, बिरनी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि का विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
सरण्डा	13	549	68 डी मध्ये 35 डी0	उ0– नीज हिस्सेदार, द0– कुंवर सिंह, पू0– नीज हिस्सेदार, पं0– अयोध्या महतो।

10.09.2024

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के प्रश्चात उभय पक्ष/ उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने-अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्षः—

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 25.05.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैः—

1. लिखित आवेदन— कुल 05 पृष्ट, **प्रदर्श A – 1**
2. छत्रधारी यादव एवं सरला देवी का स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र— कुल 01 पृष्ट, **प्रदर्श A – 2**
3. बाबुलाल सिंह बनाम् किशुन महतो वगैरह के केवाला की छायाप्रति, कुल 05 पृष्ट, **प्रदर्श A – 3**
4. **किशुन महतो के नाम से ऑफलाइन लगान रसीद की छायाप्रति, कुल 01 पृष्ठ, प्रदर्श *A* – 4**
5. छत्रधारी यादव एवं सरला देवी का आधार कार्ड की छायाप्रति, कुल 02 पृष्ट, **प्रदर्श *A* – 5**

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 25.05.2024 को समर्पित लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है--

आवेदन का प्वांइट न0 02— यह कि वादग्रस्त भूमि खतियानी रैयती भूमि है जो खतियान नाम चेतो सिंह के नाम पर इन्द्राज पाया गया है।

आवेदन का प्वांइट न0 03— यह कि चेतो सिंह की मृत्यु होने के बाद चेतो सिंह के जीवित वंशजों के श्री बाबूलाल सिंह, पिता— कोदो सिंह एवं श्री लाल जीत सिंह वल्द गोखुल सिंह के द्वारा अलग-अलग दो पार्ट केवाला से भूमि को किशुन महतो वगैरह के पास बजरीये केवाला से बिक्री किये हैं।

आवेदन का प्वांइट न0 04— यह कि बजरीये केवाला से भूमि हासिल होने के बाद किशुन महतो वगैरह के द्वारा शांति पूर्वक अपने दखल-कब्जा में लेकर जोत-कोड करते चले आ रहें हैं तथा अंचल कार्यालय बिरनी से मालगुज़ारी रसीद निर्गत कराते चले आ रहे हैं।

आवेदन का प्वांइट न0 05— यह कि प्रथम पक्ष को उपरोक्त भूमि खरीदगी दो केवाला किसुन महतो वगैरह के नाम से हासिल है जिसका जमाबंदी अंचल कार्यालय बिरनी के जमाबदी पंजी—II के भाग संख्या— 02, पेज संख्या— 69 में किशुन महतो वगैरह के नाम से दर्ज है जिसका मालगुजारी रसीद निर्गत है।

आवेदन का प्वांइट न0 06— यह कि उक्त जमीन पर प्रथम पक्ष शांतिपूर्वक कायम काबिज दखलकार हुए वो वर्त्तमान में भी प्रथम पक्ष उक्त जमीन पर दखलकार है।

आवेदन का प्वांइट न0 07— यह कि कुछ दिनों से द्वितीय पक्ष के सदस्यगण उक्त

10.09.2024

वर्णित जमीन पर जबरन कब्जा करने के नियत से नीव खोदकर चारदिवारी निर्माण कार्य एवं मकान निर्माण कार्य कर रहें हैं जिसे प्रथम पक्ष के द्वारा मना करने पर प्रथम पक्ष के साथ द्वितीय पक्ष हरवै हथियार से लैस होकर मार–पीट करने को उतारू हो जाते हैं।

द्वितीय पक्ष :–

द्वितीय पक्ष / उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा, दिनांक– 10.09.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा– कुल 03 पृष्ट, **प्रदर्श B – 1**
2. दिनांक **30.12.2018 के पंचनामा एवं निर्णयनामा की छायाप्रति, कुल 03 पृष्ट, प्रदर्श *B* – 2**
3. दिनांक 02.04.2023 के पंचनामा की छायाप्रति, कुल 03 पृष्ट, **प्रदर्श B – 3**
4. दिनांक 23.05.2014 के बंटवारनामा की छायाप्रति, कुल 06 पृष्ट, **प्रदर्श B – 4**
5. विवादित स्थल की फोटोग्राफ की छायाप्रति, कुल 01 पृष्ट, **प्रदर्श B – 5**

द्वितीय पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण–पृच्छा का प्वांइट 01– यह कि विवादित जमीन अंचल बिरनी, मौजा सारण्डा, थाना– ओ0 पी0 भरकट्टा, जिला– गिरिडीह अंतर्गत खाता नं0– 13, प्लॉट नं0– 549, रकवा– 68 डी0 मध्ये रकवा– 35 डी0, जिसकी चौहद्दी : उ0– नीज हिस्सेदार, द0– कुवंर सिंह, पू0– नीज हिस्सेदार, प0– अयोध्या महतो दर्ज है।

कारण–पृच्छा का प्वांइट 02– यह कि उभय पक्ष एक हीं वंश के वंशज है, एवं आपस में गोतिया है। जिसका वंशावली इस प्रकार है :–

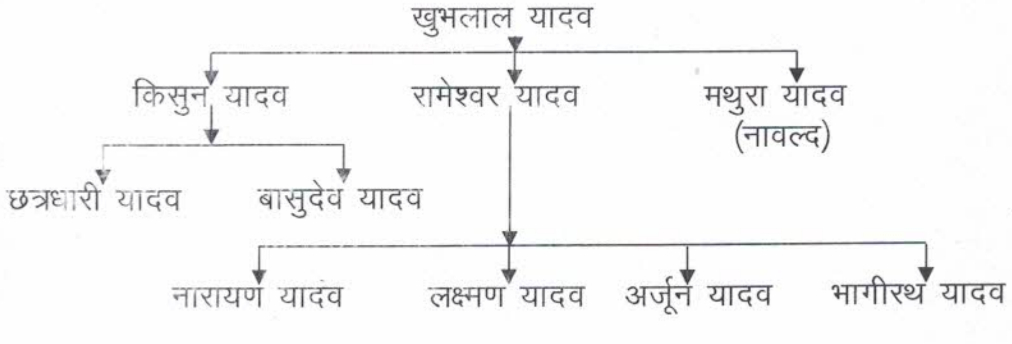

कारण–पृच्छा का प्वांइट 03– यह कि उक्त जमीन द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या– (1) नारायण यादव के पिता वो चाचा के पहला केवाला (1) किसुन महतो (2) रामेश्वर महतो (3) मथुरा महतो तीनों के पिता– खुभलाल महतो, रकवा– 28 डी0 एवं दुसरा केवाला (1) किसुन महतो (2) रामेश्वर महतो दोनों के पिता– खुभलाल महतो, रकवा– 40 डी0 खरीदगी केवाला से हासिल है।

कारण–पृच्छा का प्वांइट 04– यह कि उपरोक्त भूमि के खरीदार आपस में तीनों सहोदर भाई थे, जो मथुरा महतो नावल्द मौत कर गये। जिसके बाद उभय पक्ष के पिता

वो चाचा आपस में 34 डी0 करके बराबर–बराबर हिस्सा में बँटवारा करके पूर्व से अब तक अपने–अपने हिस्से में जोत–कोड कर फसल उगाते चले आ रहे हैं।

कारण–पृच्छा का प्वांइट 05– यह कि द्वितीय पक्ष के सदस्यगण द्वारा अपने–अपने हिस्से में पक्का मकान बनाकर निवास करते चले आ रहे हैं एवं जोत कोड कर फसल उगाते चले आ रहे हैं।

कारण–पृच्छा का प्वांइट 06– यह कि उक्त विवादित जमीन से संबंधित पंचायत के गणमान्य व्यक्तियों एवं थाना प्रभारी बिरनी के समक्ष एक पंचायत का आयोजन दिनांक 30.12.2018 ई0 को किया गया था, जिसमें द्वितीय के हिस्से में 33.65 डी0 जमीन हिस्सा है जो द्वितीय पक्ष अपने हिस्से में दखल कायम काबिज है एवं पुनः थाना प्रभारी बिरनी के द्वारा उभय पक्षों को बुलाकर थाना में 02.04.2023 को पंचायत कराया, जिसे उभय पक्षों ने स्वीकार कर लिया। इसके पूर्व गाँव में भी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पंचायत कर उभय पक्ष को विवादित जमीन का निपटारा कराया गया है।

कारण–पृच्छा का प्वांइट 07– यह कि उक्त जमीन पर द्वितीय पक्ष का दखल–कब्जा सदैव रहा है, प्रथम पक्ष उक्त जमीन पर कभी भी दखलकार नहीं हुए हैं।

<u>अंचल बिरनी का जाँच प्रतिवेदनः–</u>

अंचल अधिकारी बिरनी का पत्रांक– **691, दिनांक– 06.07.2024 अनुलग्नक सहित कुल 03 पृष्ट (प्रतिवेदन– 01 पृष्ट एवं रा0 उप0 नि0 एवं प्र0 अं0 नि0 का जाँच प्रतिवेदन** कुल 02 पृष्ट), प्रदर्श **C – 1**

अंचल अधिकारी बिरनी के प्रतिवेदन में **कहा गया है कि –**

*"(1) खतियान के अनुसार – आवेदित भूमि **मौजा– सरण्डा, थाना सं0– 107 के अंतर्गत खाता** संख्या– 13, प्लॉट सं0– 549, **रकबा– 1.52 एकड़ के मध्ये 35 डी0 सर्वे खतियान के अनुसार** बकास्त खाता की है।*

*(2) पंजी–2 के आधार पर आवेदित **भूमि से संबंधित जमाबंदी चालू पंजी–2 वो ऑनलाईन** पंजी–2 के पृष्ट संख्या– 69/2 **पर किसुन महतो पिता खुभल महतो के नाम से जमाबंदी** संचालित है।*

***(3) सरजमीन पर दखल–कब्जा संबंधी :– स्थल जाँच में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि भूमि** का खाता संख्या– 13, प्लॉट सं0– 549, **रकबा– 35 डी0 के कुछ भाग पर उभय पक्ष के पूर्वज** द्वारा मकान बनाया गया था **एवं कुछ भाग परती है। जिसपर पर उभय पक्षों का दावा है।** जिसपर द्वितीय पक्ष के लोगों **द्वारा मकान बनाने का कार्य किया जा रहा था जिसके कारण** उभय पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ।"*

10.09.2024

विश्लेषण एवं निष्कर्षः—

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण—पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना/अंचल के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि—

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :—

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
सरण्डा	13	549	68 डी मध्ये 35 डी0	**उ0— नीज हिस्सेदार, द0— कुंवर सिंह, पू0— नीज हिस्सेदार, पं0— अयोध्या महतो।**

2. उक्त विवादित भूमि, खाता संख्या— 13, सर्वे खतियान के अनुसार बकास्त खाते की भूमि है।

3. **प्रथम पक्ष का दावा है कि** वादग्रस्त भूमि खतियानी रैयती भूमि है जो खतियान नाम चेतो सिंह के नाम पर इन्द्राज पाया गया है। चेतो सिंह की मृत्यु होने के बाद चेतो सिंह के जीवित वंशजों के **श्री बाबूलाल सिंह, पिता— कोदो सिंह एवं श्री लाल जीत सिंह वल्द गोखुल सिंह के द्वारा,** अलग—अलग दो पार्ट केवाला से भूमि को किशुन महतो वगैरह के पास बिक्री किये हैं, ततपश्चात अंचल कार्यालय बिरनी के जमाबदी पंजी—II के भाग संख्या— 02, पेज संख्या— 69 पर किशुन महतो वगैरह के नाम पर जमाबंदी कायम होकर मालगुजारी रसीद निर्गत होते आ रहा है।

4. **द्वितीय पक्ष का दावा है कि** प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष एक ही वंश के वंशज हैं तथा प्रथम पक्ष जिस केवाला के आधार पर भूमि खरीदगी की बात कर रहे हैं उसमें द्वितीय पक्ष का भी हिस्सा बनता है।

5. अंचल के प्रतिवेदन में **कहा गया है कि — भूमि खाता संख्या— 13, प्लॉट सं0— 549,** रकबा— **35 डी0 के कुछ भाग पर उभय पक्ष के पूर्वज द्वारा मकान बनाया** गया था एवं कुछ भाग **परती है, जिसपर पर उभय पक्षों का दावा है, जिस पर** द्वितीय पक्ष के **लोगों द्वारा मकान बनाने का कार्य किया जा रहा था, जिसके** कारण उभय पक्षों **के बीच विवाद उत्पन्न हुआ।**

10.09.2024

अतः स्पष्ट है कि यह विवाद आपसी बटवारा तथा हक–हकीयत से सबंधित हैं जिसके संबंध में निर्णय करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः इस वाद मे उभय पक्ष के विरूद्ध निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है।

असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते है।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही इस वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

10.09.2024

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया(गिरिडीह)

10.09.2024

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया(गिरिडीह)

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.09.23 12:07:09 +05:30
Location: 192.168.1.3